चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 18.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 18.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में कोतवाली कर्वी पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर मय हमराह आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा मु0नं0 97/2001 व 104/22,117/23 धारा 125 सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त केदार प्रसाद पुत्र हरी प्रसाद निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(ii). उ0नि0 श्री गौरव तिवारी थाना कोत0 कर्वी मय हमराह आरक्षी पवन राजपूत द्वारा मु0नं0 41/19 धारा 452,354,504,506 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 8 पॉक्सो एक्ट के वारण्टी अभियुक्त ज्ञान सिंह पुत्र देवराज निवासी छेछरिहा बुजुर्ग थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में थाना मानिकपुर पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 16.12.24 को वादी श्री रामधनी पुत्र स्व0 विजयलाल साकेत निवासी ग्राम उमरी थाना सिटी कोतवाली जनपद सतना म0प्र0 द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दी कि मेरी बहन को उसके पति द्वारा सिर में सरिया से मार कर घायल कर देना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 225/2024 धारा 105 बीएनएस बनाम सुदामा प्रसाद वर्मा पुत्र देवलाल वर्मा निवासी गुरौला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा उ0नि0 श्री शम्भूशरण सिंह को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। आज दिनाँक 18.12.2024 को उ0नि0 श्री शम्भूशरण सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुदामा प्रसाद वर्मा उपरोक्त को गुरौला रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शम्भूशरण थाना मानिकपुर

2.मुख्य आरक्षी कमलाकान्त द्विवेदी

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 18.12.2024 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 377/2015 धारा 279,337, 427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामजस वर्मा पुत्र श्री रामभरोसा निवासी मुस्लिम पुरवा मौरा रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजुलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 18.12.2024 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 750/2016 धारा 279,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त देवदत्त आरख पुत्र शंकर आरख निवासी गुमाई (मइयादीन का पुरवा) थाना अतर्रा जनपद बांदा को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी संजीव मौर्या द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(जू0डि0) श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 18.12.2024 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2020 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अमित साकेत पुत्र लल्लू साकेत निवासी टिकुरिया टोला थाना कोलगवा जनपद सतना म0प्र0 को 2300/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 एफटीसी चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनांक 18.12.2024 को थाना रैपुरा में पंजीकृत एनसीआर 32/2018 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. राजा पुत्र उदार 2. चिन्ता पुत्र राजा 3. बरकत अली पुत्र गुलशेर अली निवासीगण बसावनपुर मजरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0)/एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 104/2023 धारा 379,411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त फूल कुमार पुत्र बब्बू निवासी नैनी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 30.08.2023 को वादिया श्रीमती मैना देवी पत्नी शिवा पण्डित निवासी अतरौली माफी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी कि अभियुक्त फूल कुमार द्वारा 03 बकरा व 02 मुर्गा चोरी कर ले जाना । सूचना पर थाना सरधुवा मु0अ0सं0 104/2024 धारा 379 बनाम फूल कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता द्वारा को सुपुर्द की गयी। उपरोक्त उ0नि0 द्वारा आरोपी अभियुक्त को दिनाँक 30.09.2023 को गिरफ्तार कर दिनाँक 01.10.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।